न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

नियत दिनांक ....

प्र.कं. ....

निगरानी-2862/2018/हरदा/भू.रा

किशोरीलाल आ. स्व. शंकरलाल

जाति बलाही आयु 75 वर्ष

निवासी ग्राम हीरापुर तहसील हंडिया

जिला हरदा .... याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती प्रेमबाई पत्नि सुंदरलाल

निवासी ग्राम - कुकरावद, तहसील व जिला हरदा

2. श्रीमती दुजियाबाई पत्नि स्व. श्री रामप्रसाद बलाही,

निवासी इटारसी जिला होशंगाबाद ....उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा [illegible] भू.रा.संहिता :-

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी हरदा के प्रकरण कमांक 19/अ/11-12 में पारित आदेश दिनांक 29.12.11 एवं आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण कमांक 67/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 09.03.18 से डिकी प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

-याचिका के तथ्य एवं आधार-

1. यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हीरापुर प.ह.न. 15 राजस्व निरीक्षक मण्डल हंडिया तहसील हंडिया जिला हरदा स्थित भूमि खसरा नंबर 143/[illegible] रकबा 5.071 हे. अर्थात 15 एकड एवं 143/4 रकबा 2.[illegible] हेक्टेयर अर्थात 5.20 एकड़ जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्व. [illegible] बाई से रजिस्ट्री दिनांक 20.5.74 को कय की जिसके [illegible] रेकार्ड पर है अर्थात याचिकाकर्ता किशोरीलाल याचिक...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2862/2018/हरदा/भू0रा0

किशोरीलाल विरूद्ध श्रीमती प्रेमबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 –02–19	आवेदक अभिभाषक श्री सन्दीप दुबे को ग्राहयता के तर्क पर सुना गया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 67/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09–3–2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के प्रस्तुत की गई है। 3/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी हरदा ने आदेश दिनांक 29–11–2012 से ग्राम हीरापुर पटवारी हल्का नं0 15 तहसील हडिया जिला हरदा की संशोधन पंजी में दर्ज संशोधन कमांक 37 पर दर्ज किया गये आदेश को निरस्त कर पूर्व की स्थिति कायम करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि हक त्याग करने के लिए पंजीकृत त्यजन अभिलेख होना आवश्यक है जबकि प्रश्नाधीन संशोधन में हक त्याग केवल कथित आवेदन के आधार पर स्वीकार किया गया है जो विधि अनुसार नहीं है। प्रश्नाधीन संशोधन में सहमति के उत्तरवादी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी होना सिद्ध नहीं है क्योंकि	

अनावेदिका हस्ताक्षर करती है जबकि संशोधन पंजी पर अंगूठा अंकित है। जिससे अधीनसथ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन संशोधन कूटरचना पर आधारित माना है। दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विचारण न्यायालय के हक त्याग संबंधी संशोधन को निरस्त करने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय द्वारा भी वाद कमांक 117–ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 04–12–2014 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विनिश्चय संबंधी निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त किया है। ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय से भी आवेदक को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिससे आवेदक के तर्कों को बल मिलता हो।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आग्राहय की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। उभयपक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 27/2/2019
सदस्य